29/8/18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत एवं कैम्प कोर्ट अमिश [illegible] के द्वारा 2018 मुकाम ग्राम पंचा[illegible] प्रवेश हुई। पक्षकारान [illegible] उपस्थित नहीं।

अतः पत्रावली सुनवाई हेतु न्यायालय से लौटाई जाती है। पत्रावली आगामी दि. 3/10/18 को न्यायालय में पेश हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चूरू

30/8/18 - आज यह पत्रावली बकाई तामील द्वारा
[illegible] विहीन किस पाट वाद पेश
किस पाट पर मूल वाद के साथ पेश की
गयी तामील करने / तामील की पश्चात सरदारों
[illegible] श्री राधेश्याम लश्करिया द्वारा की गयी मूल वाद तामील / वापसी द्वारा
विहीन किस पाट पर व्यापक विरुद्ध
है अतः [illegible] अस्थायी
निषेधाज्ञा की बजाय ही व्यापक माना
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नाकबूल किया है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चूरू

Scanned by CamScanner